कार्यालय जिला पंचायतराज अधिकारी, सुलतानपुर।

संख्या 2799 /7–पं0/स्व.भा.मि.(ग्रा.)/2025–26 दिनांक: 23 जून, 2025

सहायक विकास अधिकारी (पं0)
जयसिंहपुर, दूबेपुर एवं कादीपुर
जनपद–सुलतानपुर।

विषयः– **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबन्धन हेतु प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन यूनिट (PWMU) निर्माण हेतु जनपद का लक्ष्य निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक् मिशन निदेशक महोदय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 5/547/2025–5/46/2021–SBM-G II लखनऊ दिनांक 16 जून, 2025, पत्र संख्या 5/534/2025–5/46/2021–SBM-G II लखनऊ दिनांक 06 जून, 2025, पत्र संख्या 5/05/ 2024–5/46/2021–SBM-G II दिनांक 03 जनवरी, 2025, पत्र संख्या 5/1873/2024–5/46/ 2021–SBM-G II दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 एवं शासनादेश संख्या 4002/33–3–3–2022 दिनांक 24 नवम्बर, 2022 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–S-16011/2/2022-SBM-DDWS दिनांक 03 जनवरी, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों के प्लास्टिक अपशिष्ट का समुचित प्रबन्धन किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन संशोधन नियम 2021 द्वारा 31 दिसम्बर, 2022 से 120 माईक्रान से कम प्लास्टिक की बनी वस्तुएँ प्रतिबंधित कर दी गयी है। प्रतिबंधित अपशिष्ट प्लास्टिक जैसे–कैरीबैग, वाटर बोतल, शैम्पू बोतल, प्लास्टिक पैकजिंग आदि के प्रबन्धन के लिए भारत सरकार द्वारा विकास खण्ड स्तर पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन यूनिट (PWMU) को निर्मित कराये जाने की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। जिसके लिए योजना मद से प्रति विकास खण्ड रू0 16.00 लाख की व्यवस्था की गयी है। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या–S-11011/2/2020-SBM-DDWS दिनांक 17 जनवरी, 2022 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि "The saving, if any, with respect to the preseribed funding norms for a block for setting up to PWMU can be used in another block, if required, Also, based on requirement, PWMUs can be set up in cluster mode for more than one block within the overall funds availability of such blocks."

जनपद के कुल 14 विकास खण्डों को प्रत्येक 03 विकास खण्ड पर कम से कम 01 यूनिट निर्माण किया जाना आवश्यक है। जिससे कि 20 से 25 किमी0 की परिधि में आने वाले विकास खण्डों से सम्बन्धित समस्त ग्राम पंचायतों को स्थापित PWMU से मैप कर ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सर्जित हो रहे प्लास्टिक अपशिष्ट को नियन्त्रित/प्रबन्धन किया जाना है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन यूनिट (PWMU) निर्माण हेतु मांग से पूर्व निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है–

- PWMU यूनिट मांग किये जाने से पूर्व ही जारी शासनादेश संख्या 4002/33–3–2022 दिनांक 24 नवम्बर, 2022 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार कम से कम 1500 वर्ग फिट भूमि/स्थल का चयन कर लिया जाये तथा चिन्हित स्थान का चिन्हांकन भी करा लिया जाए।
- ऐसी भूमि/स्थल का चयन किया जाये जो की गैर विवादित हो एवं सम्पर्क मार्ग से जुड़ा हो जिससे कि गाड़ियों का आवागमन सहज रहे।
- PWMU निर्माण हेतु ऐसे स्थल का चयन किया जाये जिससे कि यूनिट निर्माण उपरान्त मैप किये जाने वाले अन्य विकास खण्डों की दूरी कम व पहुंच आसान हो।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायतों के प्लास्टिक अपशिष्ट का समुचित प्रबन्धन किये जाने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन यूनिट के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत के स्थल का चयन करते हुए स्थल का विवरण (गाटा संख्या एवं खतौनी सहित) 03 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सर्जित हो रहे प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए भारत सरकार द्वारा जारी Plastic Waste Mangement Amendment Rules 2021 का पालन कराते हुए विशेष रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक का पूर्ण प्रबन्धन सुनिश्चित किया जा सके।

(अभिषेक शुक्ल)
जिला पंचायतराज अधिकारी,
सुलतानपुर।

पृष्ठांकन संख्या /7–पं0/स्व.भा.मि.(ग्रा.)/2025–26 दिनांकित।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मिशन निदेशक महोदय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0 की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

2– जिलाधिकारी महोदय सुलतानपुर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

3– मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सुलतानपुर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

4– उप निदेशक (पंचायत) अयोध्या मण्डल, अयोध्या।

5– सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, सुलतानपुर।

जिला पंचायतराज अधिकारी,
सुलतानपुर।